15/01/25

वकील प्रार्थीगण उप.। बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय अलग से शामिल किया गया। पत्र जारी हो। नंबर से कम हो।

आदेश उद्घोषित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/688

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.21 16:05:32 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारीः संदीप कुमार आर. ए. एस.

प्रकरण सं0 302 /2024 G CMS:-2024/688 दायर दिनांकः– 08–11–2024

1–मनफूल
2–ओमप्रकाश
3–ईमीलाल
4–धर्मपाल

} पिसरान श्री चुनाराम जाति जाट साकिन रघुनाथपुरा हाल आबाद चक 1 आर एम तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

5–धुड़ाराम पुत्र श्री चिमनाराम जाति नायक साकिन बख्तावरपुरा हाल चक 2 आर एम तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

––––––प्रार्थीगण

बनाम

1– साहबराम पुत्र श्रीराम
2– सावित्री देवी पत्नी रामेश्वरलाल
3– मंजलू पुत्री रामेश्वरलाल
4– कृष्णलाल पुत्र रामेश्वरलाल
5– राकेश कुमार पुत्र रामेश्वरलाल

} अकवाम जाट साकिनान 1–2 आर एम तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

6–विमला देवी पत्नी चुनाराम
7– धनश्याम पुत्र श्री चुनाराम
8– जयदेवी पुत्री चूनाराम
9– हरभजन लाल पुत्र चुनाराम

} अकवाम डाकोत साकिनान 1–2 आर एम तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

10–जीतसिंह पुत्र श्री जगमाल
11– मदनाराम पुत्र श्री जगमाल

} अकवाम जाट साकिनान 1–2 आर एम तहसील सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0

12– तहसीलदार राजस्व सूरतगढ जिला श्री गंगानगर राज0
13– सावित्री पत्नी हंसराज जाति जाट साकिन नाहरावाली तहसील अनुपगढ जिला श्री गंगानगर
14– प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्री विजयनगर

–––––अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आर टी ए 1955 सपठित धारा 8(2) कालोनी कन्डीशन 1955

उपस्थित :–

1– श्री शिशपाल शर्मा एवं राजवीर भादू अभिभाषक प्रार्थीगण
2– पैराकार राज तहसीलदार सूरतगढ

–:– निर्णय –:–

दिनांकः– 15.01.2025

आज पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अभिभाषक प्रार्थीगण , पैरोकार राज उपस्थित। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी सं0 1 के नाम से चक 2 आर एम के प0न0 153/59 मु0न0 45 के किला नं0 16–17–25/0.759 है0 कमाण्ड, प्रार्थी नं0 2 के नाम चक 2 आर एम के प0न0 153/59 मु0न0 45 के किला नं0 18–23–24/0.759 है0 , प्रार्थी नं0 3 के नाम चक 2 आर एम के प0न0 153/59 मु0न0 45 के किला नं0 12/0.253 है0 , 13/1 में 0.063 है0 , 19–22/0.506 है0 कुल 0.822 है0 एव प्रार्थी स0 4 के नाम चक 2 आर एम के प0न0 153/59 मु0न0 45 के किला नं0 11/0.253 है0 , 13/1 में 0.063 है0 , 20–21/0.506 है0 कुल 0.822 है0 एवं प्रार्थी स0 5 के नाम चक 2 आर एम के प0न0 174/3 के किला नं0 1 ता 20 , 22 कुल 21/5.566 है0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थीगण अपने खेतो में जाने आने के लिए चक 110 आर डी से जो पक्की

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.21 16:05:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)

सड़क चक 1–2 आर एम की आबादी एवं आगे हरदासवाली तक जाती है उस सड़क में से होकर प0न0 174/5 के किला न0 1–10–11–20–21 प्रत्येक बीघा में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत है व उससे उतर वाले प0न0 174/4 के किला न0 1–10–11–20–21 व प0न0 174/3 के किला न0 21 में 2–2 बिस्वा रास्ते में से प्रार्थीगण अपने खेत में आना जाना करते रहते है । चक 2 आर एम के प0न0 174/3 के किला न0 21 व प0न0 174/4 के किला न0 1 ता 14/2 में 3.049 है0 में अप्रार्थी स0 1 ता 5 अपने अपने हिस्सा अनुसार काश्त कर रहे है । तथा प0न0 174/4 के किला न0 15/1 ता 25/2 में 2.492 है0 रकबा के अप्रार्थी स0 7 ता 11 अपने अपन हिस्सा अनुसार संयुक्त खाते के काश्तकार है । प्रार्थीगण ने उक्त चालू रास्ता को बंद कर देने से प्रार्थीगण को अपने खेतो में आवागमन के लिए भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । उक्त रास्ता बन्द किया गया तो प्रार्थीगण ने गाव के मौजीज व्यक्तियों की पंचायत बुला कर अप्रार्थीगण को समझाया तो वो मान गये थे कि वो बंद किया हुआ चालू रास्ता खोल देगें परन्तू फिर अप्रार्थीगण ने फिर रास्ता बन्द कर दिया । प्रार्थीगण के मुरब्बा को किसी ाी तरफ से सरकारी रास्ता प0न0 153/59 को नही लगता है एक मात्र सबसे नजदीक व सुवियााजनक रास्ता प.न0 174/4 व 174/3 में जो चाहा गया है वही सबसे नजदीक है । राज्य सरकार व राजस्व मण्डल द्वारा भी समय समय पर अदालतो को यह दिशा निर्देश जारी किये जाते रहे है कि प्रत्येक मुरब्बा व काश्तकार को डी एल सी रेट पर रास्ता की आवश्यकता उपलब्ध करवाई जावे । ताकि रास्ते के अभाव में किसी काश्तकार को अपने खेत तक पहुचने में असुविधा न हो । इसलिए प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया ।

पत्रावली माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 04–01–2024 के विरूद्ध प्रस्तुत निगरानी संख्या 354/2024 निरस्त होने पर पत्र क्रमांक 5779 दिनांक 18–10–2024 से प्राप्त हुई है । पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर उभय पक्षो के अधिवक्तागणो को सुचित किया । अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड समन भिजवाये गये जिस पर अप्रार्थीगण जरिये समन उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई ।

इसके पश्चात प्रार्थीगण अभिभाषकगण एव पेरोकांर राज की बहस सुनी गई । जिसमें प्रार्थीगण के अभिभाषक ने प्रार्थना–पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी सं0 1 के नाम से चक 2 आर एम के प0न0 153/59 मु0न0 45 के किला न0 16–17–25/0.759 है0 कमाण्ड, प्रार्थी नं0 2 के नाम चक 2 आर एम के प0न0 153/59 मु0न0 45 के किला नं0 18–23–24/0.759 है0 , प्रार्थी नं0 3 के नाम चक 2 आर एम के प0न0 153/59 मु0न0 45 के किला नं0 12/0.253 है0 , 13/3 में 0.063 है0 , 19–22/0.506 है0 कुल 0.822 है0 एव प्रार्थी स0 4 के नाम चक 2 आर एम के प0न0 153/59 मु0न0 45 के किला नं0 11/0.253 है0 , 13/1 में 0.063 है0 , 20–21/0.506 है0 कुल 0.822 है0 एव प्रार्थी स0 5 के नाम चक 2 आर एम के प0न0 174/3 के किला नं0 1 ता 20, 22 ता 25/5.566 है0 खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड पटवार वाके है । प्रार्थीगण अपने खेतो में जाने आने के लिए चक 110 आर डी से जो पक्की सड़क चक 1–2 आर एम की आबादी एवं आगे हरदासवाली तक जाती है उस सड़क में से होकर प0न0 174/5 के किला न0 1–10–11–20–21 प्रत्येक बीघा में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत है व उससे उतर वाले प0न0 174/4 के किला न0 1–10–11–20–21 व प0न0 174/3 के किला न0 21 में 2–2 बिस्वा रास्ते में से प्रार्थीगण अपने खेत में आना जाना करते रहते है । प्रार्थीगण ने उक्त चालू रास्ता को अप्रार्थीगण द्वारा बंद कर देने से प्रार्थीगण को अपने खेतो में आवागमन के लिए भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । प्रार्थीगण के मुरब्बा को किसी भी तरफ से सरकारी रास्ता प0न0 153/59 को नही लगता है और न ही कोई वैकल्पिक रास्ता है तथा अप्रार्थी न0 1 द्वारा दौराने कार्यवाही के वैकल्पिकी रास्ता पर मकान बना कर व्यवधान उत्पन्न करने की कौशिश की गई है । उक्त पत्रावली राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय निरस्त कर राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.21 16:05:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

कास्तकारी अधिनियम की धारा 251क के नियम 68 ता 71 के प्रावधानो के मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व सूरतगढ से मंगवाई गई । जिस पर तहसीलदार राजस्व सूरतगढ द्वारा रिपोर्ट भेजी गई जो पत्रावली में शामिल है जिसमें पूर्णरूप से 251क के प्रावधानो के मुताबिक प्रार्थीगण उक्त जैर प्रार्थना-पत्र रास्ता स्वीकृत करवाने के कानूनन हकदार है । प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को डी एल सी रेट से राशी देने के लिए तत्पर है । इसलिए प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया ।

उभय पक्षो की बहस पर मनन किया । पत्रावली का गहनता से पठन व मनन किया गया एवं उपलब्ध दस्तावैजो , तहसीलदार राजस्व सूरतगढ की रिपोर्ट दिनांक 26-06-2020 , 24-07-2020 का अवलोकन किया गया । तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के दिशा निर्देशो की पालना करते हुये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ से नियम 68 ता 71 की पालना में रिपोर्ट मंगवाई गई जिस पर तहसीलदार राजस्व सूरतगढ के द्वारा रिपोर्ट दिनांक 05-07-2024 पत्रावली में पेश की गई । उक्त पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य पूर्णरूप से स्पष्ट होते है कि प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतू किसी प्रकार का कोई भी रास्ता नही है । वैकल्पिक रास्ता का अभाव है तथा पूर्व निर्णय में अप्रार्थीगण के द्वारा अन्य रास्ता प0न0 154/58 , 154/59 में बताया गया है जबकि उक्त रिपोर्ट में ऐसा कोई भी रास्ता प्रार्थीगण के रकबा को नही लगता है । तथा रिपोर्ट के मुताबिक भी प0न0 174/3 के किला नं0 21 एवं प0न0 174/4 के किला नं0 1-10-11-20-21 का रास्ता सबसे छोटा रास्ता है । जिस पर अप्रार्थी न0 1 द्वारा दौराने कार्यवाही के वैकल्पिकी रास्ता पर मकान बना कर व्यवधान उत्पन करने की कौशिश की गई है । प0न0 174/4 के किला न0 11 के दक्षिण - पश्चिम पासा में ईटो का एक 10 फुट गुणा 10 फुट का मकान डाला गया है जिससे वैकल्पिक रास्ता स्वीकार न हो सके । इसलिए प्रार्थना-पत्र में वर्णित प0न0 174/3 के किला नं0 21 व प0न0 174/4 के किला न0 1-10-11-20- 21 प्रत्येक में 2-2 विस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाना हम उचित समझते है ।

उक्त विवेचना अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण सं0 1 ता 11 व 13 के नाम खातेदार भूमि चक 2 आर एम तहसील सूरतगढ के प0न0 174/3 के किला न0 21 में 0.025 है0 पश्चिम पासा (उतर से दक्षिण) , प0न0 174/4 के किला नं0 1-10 प्रत्येक में 0.025 है0 कुल 0.050 है0 पश्चिम पासा (उतर से दक्षिण) , 11 में 0.023 है0 (155फुट ल0× 16.5फुट चौ0) पश्चिम पासा (उतर से दक्षिण) एवं 0.003 है0 (10फुट × 10फुट पश्चिमी - दक्षिण कोने पर कमरे के छोड़ते हुये 20फुट ल0× 16.5फुट चौ0) कुल 0.026 है0, किला न0 20 में 0.002 है0 पश्चिम पासा उतर से दक्षिण (10फुट ल0× 20फुट चौ0) एवं 0.023 है0 (155फुट ल0 × 16.5फुट चौ0) पश्चिम पासा (उतर से दक्षिण) कुल 0.025 है0 , 21/0.025 है0 पश्चिम पासा (उतर से दक्षिण) अप्रार्थीगण 1 ता 11 व 13 के नाम से कलमजन कर गै0मु0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है । तथा उक्त गै0मु0 रास्ता की एवज मे डी एल सी दर की दो गुणा राशि तहसीलदार राजस्व सूरतगढ के राजस्व कोष में जमा करवाने के पश्चात राजस्व रिकार्ड मे गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । रास्ता की भूमि पर से रहन हटा कर शेष भूमि पर रहन यथावत रखे जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार सूरतगढ के नाम तहरीर जारी हो । पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ़्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.01.25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.21 16:05:32 IST
Reason: SelfAttested

(संदीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ (राज.)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी सूरतगढ, जिला श्री गंगानगर

क्रमांक / 117 दिनांक :– 16.1.25

तहसीलदार राजस्व
सूरतगढ

विषय :– अनवान मनफुल वगैरा बनाम साहबराम वगैरा में जारी आदेश की पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त अनवान मनफुल वगैरा बनाम साहबराम वगैरा पत्रावली धारा 251 क आर टी ए 1955 सपठित धारा 8(2) कालोनी कन्डीशन 1955 के तहत में दिये गये आदेश दिनांक 15.1.25 के मुताबिक अप्रार्थीगण सं0 1 ता 11 व 13 के नाम खातेदार भूमि चक 2 आर एम तहसील सूरतगढ के प0न0 174/3 के किला न0 21 में 0.025 है0 पश्चिम पासा (उतर से दक्षिण) , प0न0 174/4 के किला नं0 1–10 प्रत्येक में 0.025 है0 कुल 0.050 है0 पश्चिम पासा (उतर से दक्षिण) , 11 में 0.023 है0 (155फुट ल0× 16.5फुट चौ0) पश्चिम पासा (उतर से दक्षिण) एवं 0.003 है0 (10फुट × 10फुट पश्चिमी – दक्षिण कोने पर कमरे के छोड़ते हुये 20फुट ल0× 16.5फुट चौ0) कुल 0.026 है0, किला न0 20 में 0.002 है0 पश्चिम पासा उतर से दक्षिण (10फुट ल0× 20फुट चौ0) एवं 0.023 है0 (155फुट ल0 × 16.5फुट चौ0) पश्चिम पासा (उतर से दक्षिण) कुल 0.025 है0 , 21/0.025 है0 पश्चिम पासा (उतर से दक्षिण) अप्रार्थीगण 1 ता 11 व 13 के नाम से कलमजन कर गै0मु0 रास्ता स्वीकृत किया जाता है । तथा उक्त गै0मु0 रास्ता की एवज मे डी एल सी दर की दो गुणा राशि तहसीलदार राजस्व सूरतगढ के राजस्व कोष में जमा करवाने के पश्चात राजस्व रिकार्ड मे गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । रास्ता की भूमि पर से रहन हटा कर शेष भूमि पर रहन यथावत रखे जाने के आदेश दिये गये कि पालना कर किसी समक्ष न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नही होने पर रिपोर्ट भिजवाई जावे ।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

उप खण्ड अधिकारी
सूरतगढ (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.01.21 16:05:32 IST
Reason: SelfAttested